न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 842 / 2022

अनवान : –

1. मंजु पत्नी सुरेश कुमार जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम

1. संतोष पत्नी जगदीश जाति जाट साकिन दीपलाना तहसील नोहर।
2. प्रदीप कुमार पुत्र राजकुमार जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता प्रतिवादी स0 1

निर्णय दिनांक: 02/06/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 81/78 की कुल 4.8070 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है इसलिए कब्जा काश्त एवं जमाबंदी में दर्ज हक हिस्सा के अनुसार के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 81/78 की कुल 4.8070 हैक्ट भूमि पक्षकारान के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का खाता व लगान मुताबिक कब्जा काश्त व हक हिस्सा अनुसार अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार नोहर से विभााजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

अधिवक्ता प्रतिवादी स0 1 ने विभाजन पर ऐतराज पेश कर निवेदन किया की पटवार हल्का द्वारा प्रेषित रिपोर्ट एकपक्षीय है उसमें प्रतिवादी स0 1 पक्षकार ही नही थी एवं उक्त विभााजन में प्रतिवादी स0 1 को घटिया किस्म की भूमि दी गई है। वादीया द्वारा पटवारी से साजबाज कर विभाजन भिजवाया गया है। अत ऐतराज स्वीकार कर पुन विभाजन प्रस्ताव भिजवाया जावे।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया एवं स्वयं ने मौका निरीक्षण किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 2 के नाम दर्ज है। तहसीदार द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव राजस्व मण्डल अजमेर के नियम 18 ता 21 के अनुकूल तैयार किया गया है एवं मौका निरीक्षण के मुताबिक भी उक्त विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत है एवं प्रतिवादी स0 1 द्वारा प्रस्तुत ऐतराज खारिज योग्य है।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 81/78 की कुल 4.8070 हैक्ट भूमि के वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त खाता के खातेदार काश्तकार है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1. मंजू पत्नी सुरेश कुमार जाति ब्राहमण निवास नोहर खातेदार– प0न0 323/444 मु0न0 71 किला न0 21/0.253, 22/0.253, प0न0 323/445 मु0न0 72 के किला न0 1/0.253, 2/0.253, 3/0.253, 10/0.253 कुल किता 6 नहरी– 0.253, बारानी 1.265 कुल 1.518 हैक्ट
2. प्रदीपकुमार पुत्र राजकुमार हि0 611/3289 जाति अग्रवाल सा0 नोहर खातेदार, संतोष पत्नी जगदीश प्रसाद, हि0 2678/3289 जाति जाट साव0 दीपलाना खातेदार राहिन हि0 2678/3289 राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा फेफाना – प0न0 323/444 मु0न0 71 कि0न0 1 ता 2/0.506, 3/0.253, 8/0.253, 9 ता 12/1.012, 13/0.253, 18/0.253, 19 ता 20/0.506, 23/0.253 कुल किता 13 नहरी–1.265, बारानी 2.024 कुल 3.259 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक ....02/06/26.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 842/2022

अनवान : –

1. मंजु पत्नी सुरेश कुमार जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. संतोष पत्नी जगदीश जाति जाट साकिन दीपलाना तहसील नोहर।
2. प्रदीप कुमार पुत्र राजकुमार जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 842 सन 2022 निर्णय दिनांक 02/06/2026

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 81/78 की कुल 4.8070 हैक्ट भूमि के वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त खाता के खातेदार काश्तकार है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1. मंजू पत्नी सुरेश कुमार जाति ब्राहमण निवास नोहर खातेदार– प0न0 323/444 मु0न0 71 किला न0 21/0.253, 22/0.253, प0न0 323/445 मु0न0 72 के किला न0 1/0.253, 2/0.253, 3/0.253, 10/0.253 कुल किता 6 नहरी– 0.253, बारानी 1.265 कुल 1.518 हैक्ट
2. प्रदीपकुमार पुत्र राजकुमार हि0 611/3289 जाति अग्रवाल सा0 नोहर खातेदार, संतोष पत्नी जगदीश प्रसाद, हि0 2678/3289 जाति जाट साव0 दीपलाना खातेदार राहिन हि0 2678/3289 राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा फेफाना – प0न0 323/444 मु0न0 71 कि0न0 1 ता 2/0.506, 3/0.253, 8/0.253, 9 ता 12/1.012, 13/0.253, 18/0.253, 19 ता 20/0.506, 23/0.253 कुल किता 13 नहरी–1.265, बारानी 2.024 कुल 3.259 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/06/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर